माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान
अंक — तालिका
सैकण्डरी स्कूल परीक्षा 1975

नामांक	केन्द्र	[illegible]	[illegible]	जन्म तिथि	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

छात्र का नाम: [illegible] PAREEK

पिता का नाम: [illegible] LAL PAREEK

विषय	पूर्णांक		न्यूनतम उत्तीर्णांक		प्राप्तांक		योग
	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	
COMPULSORY SUBJECTS							
HINDI	100	—	[illegible]	—	—	—	037
ENGLISH	100	—	[illegible]	—	—	—	[illegible]
GENERAL SCIENCE	50	—	17	—	—	—	026
SOCIAL STUDIES	50	—	17	—	—	—	
ELEMENTARY MATHEMATICS	50		17		—	—	028
OPTIONAL SUBJECTS							
[illegible]	150		050		076		076
[illegible]	150		050		066		066
[illegible] HINDI	150		050		[illegible]		085
TOTAL MAXIMUM MARKS	750		GRAND TOTAL				352
			RESULT	SECOND DIV. BY GRACE			
THIRD LANGUAGE: [illegible]	50	—	17	—	—	—	025
ARTS & CRAFTS: [illegible]	100	—	33	—	—	—	037

ABBREVIATIONS:

PR — स्वयंपाठी छात्र

[illegible] — अनुपस्थित

F — अनुत्तीर्ण

D — विषय में विशेष योग्यता प्राप्त की

1) कला एवं उद्योग विषय के पूर्णांक में सत्रांक के लिये निर्धारित अंक भी सम्मिलित हैं।
2) यदि कोई छात्र पूरक परीक्षा के योग्य घोषित किया गया है तो उसके पूरक परीक्षा के विषय व होने जिसमें उसे 'F' चिन्ह द्वारा इस अंकतालिका में अनुत्तीर्ण दर्शाया गया है।

प्रधानाध्यापक

सचिव

अजमेर

दिनांक [illegible] 1975

ह. पू. उ. [illegible]

क्रमांक 13437

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

सैकण्डरी स्कूल परीक्षा, 1975

नामांक 134810

प्रमाणित किया जाता है कि (कुमारी) सुमित्रा पारीक

पुत्र/पुत्री बन्शीलाल पारीक,

जन्म दिनांक चौदह जुलाई उन्नीस सौ साठ

ने माह अप्रेल सन् 1975 में आयोजित सैकण्डरी स्कूल परीक्षा गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुजानगढ़ (चूरू) से

निम्न विषयों में, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की :—

अनिवार्य विषय

हिन्दी
अंग्रेजी
सामान्य विज्ञान
~~सामाजिक ज्ञान~~
प्रारम्भिक गणित
तृतीय भाषा संस्कृत

वैकल्पिक विषय (कला **वर्ग)**

1. नागरिक शास्त्र
2. विशेष हिन्दी
3. चित्रकला

तथा × में विशेष योग्यता प्राप्त की।

कला एवं उद्योग के सिलाई कला विषय में भी सफलता प्राप्त की।

अजमेर,
दिनांक 11 जुलाई, 1975

नियमित अभ्यर्थी को आंतरिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र अंकतालिका के साथ दिया गया है।
काटे गये विषय/विषयों में छात्र को नियमानुसार मुक्ति दी गई है।

क्रमांक 5681

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान

हायर सैकण्डरी परीक्षा, 1977

नामांक 210416

प्रमाणित किया जाता है कि (कुमारी) सुमित्रा पारीक

पुत्र/पुत्री बंशी लाल पारीक

ने माह अप्रेल सन् 1977 में आयोजित हायर सैकण्डरी परीक्षा गांधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, सुजानगढ़ (चूरू) से

निम्न विषयों में द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की :—

अनिवार्य विषय

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी

वैकल्पिक विषय (कला वर्ग)

1. नागरिक शास्त्र
2. विशेष हिन्दी
3. चित्रकला

तथा × में विशेष योग्यता प्राप्त की।

[signature]

सचिव

अजमेर,

दिनांक 27 जून, 1977

निर्दिष्ट अभ्यर्थी को शारीरिक मूल्यांकन प्रमाण-पत्र अंकतालिका के साथ दिया गया है।

कृ० पृ० उ०

अनुक्रमांक ६५३७२

राजस्थान विश्वविद्यालय

(जयपुर)

हम, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति तथा सेनेट के सदस्य, प्रमाणित करते हैं कि सोनादेवी सेठिया गर्ल्स कालेज, सुजानगढ़ .... की ...(कुमारी) सुमित्रा पारीक .... को जून, सन् १९८० की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होने पर

बैचलर आव् आर्ट्स

(थ्री–इयर डिग्री कोर्स)

की उपाधि प्रदान की गई।

वह ...... प्रथम ...... श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। अर्हक विषयों के अतिरिक्त परीक्षा के विषय निम्नलिखित थे :—

(१) इतिहास .... (History)

(२) राजनीति विज्ञान (Political Science)

(३) हिन्दी .... (Hindi)

प्रमाण-पत्र इस विश्वविद्यालय की मुद्रा और कुलपति के हस्ताक्षर से अंकित किया जाता है।

राजस्थान विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF RAJASTHAN 1947

जी के एन अग्रवाल

कुलपति

२३ अक्टूबर, १९८१

[illegible]

अनुक्रमांक १०५

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

हम, राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति तथा सेनेट के सदस्य, प्रमाणित करते हैं कि विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, जयपुर की (कुमारी) सुमित्रा पारीक को सामाजिक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत सन् १९८४ की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण घोषित होने पर

मास्टर आव् फिलासफ़ी

की उपाधि प्रदान की गई।

परीक्षा का विषय राजनीति विज्ञान था।

प्रमाण-पत्र इस विश्वविद्यालय की मुद्रा और कुलपति के हस्ताक्षर से अंकित किया जाता है।

र. प्र. अग्रवाल

१७ [illegible], १९८४

कुलपति

S. No. 329

[redacted]

UNIVERSITY OF RAJASTHAN

Copy of marks obtained at the M.A. (~~Previous~~/Final) Examination, [redacted] 1983

Subject :—POLITICAL SCIENCE

Roll No. 65181

Name (Miss) Sumitra Pareek

Papers in which required to appear { ~~Previous~~ Final B. I, B. IV (Detailed nomenclatures may please be seen overleaf)

Category :—Regular/Non-Collegiate/Correspondence Course/Ex-Students/Improvement of division/Performance

1	2	3						4	5		6	7		8	9	10	11
	Examination	Marks entered in these colums are in the same order of papers as mentioned above					Total marks obtained in the papers in which appeared	Marks obtained in the paper(s) already cleared, if any	Total aggregate of marks obtained		Passed or Failed (X for fail)	In case of candidates who are appearing in the papers of M.A./M.Com./MSc. Prev. and/or Final after a period of three years, marks to be taken in to account for award of Division as per rules.		If passed at the Previous & Final Exams. vide col. 6 Total No. of Marks obtained at the M.A. Prev. & Final Exams. combined.	Passed in Division	If failed name of the paper(s) in which eligible to re-appear alongwith the Final Examination in a subsequent year/required re-appear.	Remarks
		Marks obtained	Marks obtained	Marks obtained	Marks obtained	Paper IX Research Methodology/Viva-voce (For Final only) Marks obtained			M.A. Previous	M.A. Final		Previous	Final				
Max. Marks.. Min. Pass Marks		100 25	100 25	100 25	100 25	100 25			400 144	500 180				900 324			
Marks obtained	Previous	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Marks obtained	Final	67	45	—	—		112	184	239	296	P	—	—	535	II	—	

Classification :—First Division 60 % (540 marks or above) Second Division 48 % (432 to 539 marks) and Third Division 36 % (324 to 431 marks) in the Total aggregate for the Previous and for the Final Examinations combined.

JAIPUR 83
5 Sep.
Dated 4.6.84

Written by M

Checked by AC

REGISTRAR

P. T. O.

पंजीकरण (Regn. No.) 490/09/

No. Ph.D/0000437

राजस्थान विश्वविद्यालय

जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति तथा सेनेट के सदस्य,

प्रमाणित करते हैं कि

सुमित्रा पारीक को **सामाजिक विज्ञान** संकाय में **Political Science** में ***प्राचीन भारतीय चिन्तन में समाज व राज्य : महाकाव्यों के संदर्भ में एक अध्ययन*** विषय पर

दिनांक 07-05-2013 को शोध प्रबन्ध स्वीकृत होने के उपरान्त

डॉक्टर ऑफ़ फिलॉसफी

की उपाधि प्रदान की गई।

University of Rajasthan

Jaipur

The **Chancellor, Vice-Chancellor**

and the **Members** *of the* **Senate** *of the University of Rajasthan,*

Certify that the Degree of

Doctor of Philosophy

in **Political Science** *in the faculty of* **Social Science** *has been conferred*

on **Sumitra Pareek** *after approval of the thesis on the title*

प्राचीन भारतीय चिन्तन में समाज व राज्य : महाकाव्यों के संदर्भ में एक अध्ययन *on*

07-05-2013.

कुलपति

Vice - Chancellor

[redacted]

[redacted]

Jaipur, Dated : 01-02-2014

Scanned by CamScanner

प्रपत्र-5

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

विज्ञप्ति

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 की धारा 22(1) (क) एवं बोर्ड विनियम 1 एवं 3 (1) अध्याय-6 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार बोर्ड अधिवेशन दिनांक ...1.3.3.2005..... के निर्णय सं0....1.8..... के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों को बोर्ड की जीवन कौशल ..... पाठयक्रम समिति का सदस्य बोर्ड अधिवेशन की तिथि से तीन वर्ष/शेष कालावधि के लिये मनोनीत किया गया है। यह तीन वर्ष की अवधि उस तिथि से तुरन्त पूर्व तक मानी जायेगी जिस दिन त्रैवार्षिक चुनाव के लिये बोर्ड का अधिवेशन हो :-

01. श्रीमती सुमित्रा पारिक — संयोजक
पारिक कन्या महाविद्यालय,
चौमू (जयपुर)

02. डॉ. दीपक सक्सेना, छात्र परामर्श केन्द्र
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर

03. डॉ. मधुर मोहन रंगा (व्याख्याता)
राजकीय महाविद्यालय,
अजमेर

04. प्रो0डी. डी. पारिक (व्याख्याता)
राजकीय महाविद्यालय, ब्यावर
(अजमेर)

05. श्री प्रह्लाद शर्मा (बोर्ड सदस्य)
31/67, प्रताप नगर, सांगानेर,
जयपुर

3. (1) प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति में कम से कम तीन ऐसे सदस्य होंगे जो मान्यता प्राप्त सैकण्डरी अथवा सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में समिति से संबंद्ध विषय/विषयों का अध्यापन करा रहे हों तथा जिन्हे सैकण्डरी अथवा सीनियर सैकण्डरी कक्षाओं को संबंधित विषय/विषयों का अध्यापन कराने का कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो । प्रत्येक पाठ्यक्रम समिति में महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से न्यूनतम एक विषय विशेषज्ञ सदस्य होगा । शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापक/प्राचार्य एवं अकादमिक संस्थानों में कार्यरत व्यक्तियों को भी स्कूल साइड में मानते हुए आवश्यकतानुसार सदस्य चयनित किया जा सकता है ।

(2) संस्कृत परीक्षा एवं पाठ्यक्रम समिति में निम्नानुसार नौ सदस्य होंगे :-

1. "प्रवेशिका परीक्षा" के लिए मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्था का प्रधानाध्यापक-एक
2. "वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा" के लिये मान्यता प्राप्त संस्था का प्राचार्य-एक
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा तथा
4. बोर्ड द्वारा निर्वाचित अन्य विद्वान

(3) प्रवेशिका एवं वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा के लिये संस्कृत विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों का पाठ्यक्रम व पुस्तकों का चयन संबंधित विषय की पाठ्यक्रम समिति से कराये जाने हेतु उसमें संस्कृत शिक्षा का एक प्रतिनिधि ।

(4) सामान्यतः पाठ्यक्रम समितियों में सात सदस्य होंगे । सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम समिति में सदस्यों की संख्या ग्यारह होगी ।

(5) सिंधी, पंजाबी, मलयालम, तामिल, गुजराती, बंगाली, राजस्थानी साहित्य, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, कम्प्यूटर विज्ञान, लोक प्रशासन, बिजनेस इंफोरमेशनसिस्टम एण्ड एप्लीकेशन, पर्यावरण शिक्षा तथा उर्दू, फारसी एवं अरबी में छात्रों की कम संख्या के कारण इन पाठ्यक्रम समितियों में सदस्य संख्या पांच होगी ।

(6) समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा पाठ्यक्रम समिति, कला शिक्षा पाठ्यक्रम समिति, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम समिति तथा विनियम-3(5) अध्याय-6 में उल्लेखित पाठ्यक्रम समितियों को विनियम 3(1) अध्याय-6 के प्रतिबंध से मुक्त होंगी, परन्तु उर्दू, फारसी एवं अरबी पाठ्यक्रम समिति के लिए अनुभव संबंधी प्रतिबंध रहेगा ।

(7) विनियम-3(1) अध्याय-6 के प्रतिबंधों से मुक्त पाठ्यक्रम समितियों में विषय से संबंद्ध सेवानिवृत्त व्यक्ति भी सदस्य नियुक्त किये जा सकेंगे ।

पाठ्यक्रम समिति में प्रत्येक सदस्य बोर्ड निर्देश पुस्तिका के अध्याय-31 में संबंधित विषय/विषयों के अध्यापक के लिये निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारक होना आवश्यक सेवा नियम जहाँ अन्यथा उल्लेख न हो या सेवा से निलम्बित व्यक्ति पाठ्यक्रम

[illegible]

उपरोक्त वर्णित विनियम के जिस प्रावधानान्तर्गत सदस्य चयनित किये गये है उनके समक्ष अंकित है । वर्तमान में यदि वे उस वर्ग के अंतर्गत नहीं आते है तो वे बोर्ड की इस पाठ्यक्रम समिति के सदस्य नहीं रह सकते है । अतः सहमति में सदस्य कृपया स्पष्ट उल्लेख कर दें । बोर्ड विनियम-14 अध्याय-6 से भी सदस्यों को अवगति देने की दृष्टि से निम्नानुसार विनियम सूचनार्थ प्रेषित है :-

"पाठ्यक्रम समिति अथवा बोर्ड के सदस्य का अथवा इसके विनियमानुसार गठित किसी भी समिति के सदस्य द्वारा उनकी सदस्यता अवधि के दौरान अथवा बोर्ड के किसी भी अधिकारी द्वारा लिखित अथवा प्रकाशित कोई भी पुस्तक बोर्ड की किसी भी परीक्षा के लिए निर्धारित अथवा अभिस्तावित नहीं की जावेगी । बोर्ड के सदस्य अथवा इसके विनियमानुसार गठित किसी भी समिति के सदस्य द्वारा उसकी सदस्यता अवधि के दौरान त्यागपत्र देकर पुस्तक प्रस्तुत करने पर भी कोई विचार नहीं किया जायेगा । यह प्रतिबंध उन सदस्यों पर लागू नहीं होगा जो बोर्ड अथवा बोर्ड के अधिकार से अध्यक्ष द्वारा पुस्तक लिखने को आमंत्रित किये जावे अथवा जो अपनी पुस्तक को बोर्ड की पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए भेंट कर दें । यदि विचारार्थ प्रस्तुत पुस्तकों में से कोई पुस्तक बोर्ड अथवा समिति के किसी सदस्य के संबंधी ने प्रस्तुत की हो तो वह सदस्य बोर्ड की अथवा समिति की उस बैठक में उपस्थित नहीं रहेगा जिसमें उस पुस्तक पर विचार होगा । कोई भी निर्धारित अथवा अभिस्तावित पुस्तक सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि से पूर्व नहीं बदली जावेगी ।

ध्यातव्य :-संबंधी शब्द में पत्नी, पति, पुत्र, पुत्री, पौत्री, पौत्र, दोयता, दोयती, पिता, माता, बुआ, फूफा, दादा, दादी, भाई, बहिन, भतीजा, भतीजी, भानजा, भानजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, चचेरा, ममेरा, मौसेरा या फुफेरा भाई, जामाता, पुत्र-वधु, भाभी, बहनोई, देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, साला, साली, ननद, ननदोई, सास, श्वसुर, ताई, ताऊ ।

ह/-
सचिव

क्रमांक :-समिति/बी-/2005/ 2246-58 दिनांक :- 6.2.5.05

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

§1§ श्री मती. सुनिता. पारीक, ...को भेजकर लेख है कि वे कृपया पाठ्यक्रम समिति की सदस्यता हेतु अपनी सहमति संलग्न प्रपत्र में तुरन्त ही इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

§2§ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

§3§ निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राज. , जयपुर

सचिव

संलग्नः- सहमति -प्रपत्र

R.U.P.—G.Ad.—287—20,000—8-2000.

Please address all communications to 'The Registrar, University of Rajasthan, Jaipur' giving the No. and date of previous correspondence on the subject, if any.

समस्त पत्र 'कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर' को सम्बोधित कीजिये, इस विषय के पूर्व पत्राचार की, यदि हो, तो संख्या व तिथि दीजिये।

Telegram : UNIVERSITY

Telephone
Vice-Chancellor 511863, 512465
Fax 511799
Registrar 510813
P.A.B.X. 511070

From :
प्रेषक :

THE REGISTRAR,
UNIVERSITY OF RAJASTHAN
कुलसचिव,
राजस्थान विश्वविद्यालय।

To :
प्रेषित : Smt. Sumitra Pareek,
Principal,
Pareek Mahila Mahavidhyalaya,
Chomu (Jaipur)

No.
पत्रांक F.2(1)/Acad.I/2004/1918M

Dated, Jaipur
दिनांक, जयपुर 14/7/2004

Madam,

I am directed to inform you that under Section 21(1)(vi) of the University Act, the State Government has been pleased to nominate you as a member of Syndicate for a period of three years with immediate effect in place of Dr.(Mrs.) Uma Tiwari.

643
14/7/04

Yours faithfully,

REGISTRAR